न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी– श्री एस.एस.गर्ग)

प्रकरण कमांक 384/2014 मु0फौ0
फाइलिंग नम्बर 230201051652015
संस्थित दिनांक 10.11.2014

1.	[redacted] .....**आवेदिका**
बनाम	
1.	[redacted] .....**अनावेदक**

.....

आवेदिका द्वारा– श्री [redacted], अधिवक्ता।
अनावेदक द्वारा – श्री [redacted], अधिवक्ता।

.....

//आदेश //

// आज दिनांक 31.01.2017 को पारित किया गया/

1– आवेदिका श्रीमती [redacted] द्वारा यह भरण–पोषण आवेदन, धारा 125 दं0प्र0सं0 के अनुसार प्रस्तुत करते हुये भरण पोषण की मॉग की है।

2– प्रकरण में यह स्वीकृत है कि [redacted], रामौतार की विवाहिता पत्नि है। यह भी स्वीकृत है कि दोनों के दाम्पत्यजीवन से दो बच्चे हुये, जो वर्तमान में अनावेदक के पास हैं। यह भी स्वीकृत है कि दोनों वर्तमान में अलग–अलग रह रहे हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में अंतरिम भरण पोषण आदेश मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.15 को करते हुये 2,000/– रूपये निर्धारित की गई है।

3– आवेदिका का पक्ष इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2007 को उसकी शादी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार अनावेदक [redacted] के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी सामर्थ्यनुसार दान दहेज दिया था, परंतु अनावेदक एवं उसके परिवारजन दहेज से संतुष्ट नहीं

हुये तथा 50,000/– रूपये एवं मोटरसाइकिल की मॉग करते रहे, जबकि उसके पिता गरीब थे, देने की स्थिति में नहीं थे।

4– आवेदिका के अनुसार अनावेदक के सहवास से पुत्री कुमारी [redacted] तथा एक पुत्र [redacted] का जन्म क्रमशः दिनांक 10.10.08 तथा 04.08.10 को हुआ था, जिसे अनावेदक द्वारा छीन लिया गया। दहेज में मोटरसाइकिल न देने के कारण अनावेदक उसे परेशान करने लगे। उसके भाई [redacted] के समझाने पर वह पुनः अनावेदक के यहॉ गई और दो–चार दिन अच्छे रखा, फिर परेशान करने लगे। दिनांक 21.10.14 को अनावेदक एवं उसके परिवारजनों ने उनकी मारपीट कर घर से निकाल दिया एवं दिनांक 26.10.14 को सिटी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके आधार पर अनावेदक एवं उसके परिवारजनों के विरूद्व दहेज का प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

5– आवेदिका के अनुसार अनावेदक [redacted] में गल्ले का व्यापार करता है। उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ है और बेयर हाउस में वह गल्ला रखता है, जिससे उसकी 25–30 हजार रूपये प्रतिमाह आय होती है। इसके अलावा 25–30 हजार रूपये पृथक से आमदनी है। उसके नाम से दो मंजिला बहुत बड़ा मकान है तथा 25 वीघा जमीन है, जिससे उसकी पॉच–दस लाख रूपये प्रतिवर्ष आमदनी होती है। अनावेदक के परिवारजन सभी पृथक–पृथक व्यवसाय करते हैं।

6– आवेदिका के अनुसार वह पर्दानसीन महिला है। उसके पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है। वह अपने पिता पर आश्रित है। इस प्रकरण उसने यह याचिका प्रस्तुत करते हुये 15,000/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से भरण पोषण की मॉग की है।

7– अनावेदक ने उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह अस्वीकार किया है कि शादी में दान दहेज दिया गया था। उसके अनुसार शादी बिना दान दहेज के हुई थी। इस बात को अस्वीकार किया है कि उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल एवं 50,000/– रूपये मॉग की। बच्चों का जन्म होना स्वीकार किया है, परंतु इस बात को अस्वीकार किया है कि दिनांक 25.08.2015 को उसने दोनों बच्चों को छुड़ाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने खाने के लिये सामान एवं पहिनने को कपड़े नहीं दिये तथा इस बात को अस्वीकार किया है वह जीप में बिठालकर आवेदिका को मुरैना छोड़ गया था।

8– अनावेदक के अनुसार असत्य आधारों पर उसके विरूद्व दहेज संबंधी मामला पंजीबद्ध हुआ है। इस बात को अस्वीकार किया है कि वह गल्ले का व्यवसाय करता है तथा उसके पास 25 वीघा जमीन है। उसके अनुसार यह भूमि उसके पिता के नाम से है। मकान पुराना खण्डहर है। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसकी कृषि से पॉच–दस लाख रूपये प्रतिवर्ष आय होती है। उसके अनुसार उसके परिवारजनों के सभी लोग पृथक–पृथक निवास कर

पृथक–पृथक कार्य करते हैं। उसके अनुसार वह अंजलि ट्रैडर्स के यहॉ कार्य करके 6,000/– रूपये प्रतिमाह की नौकरी करता है।

9– अनावेदक के अनुसार आवेदिका के भरण पोषण से उसने अस्वीकार नहीं किया है। वह अब भी अनावेदक को पत्नि के रूप में रखना चाहता है, परंतु वह उसके अनुसार बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। उनकी यह भी आपत्ति है कि कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसके अनुसार आवेदिका को प्लॉट बेचकर रकम दे दी है। अनावेदक के अनुसार आवेदिका पत्र छोड़कर मुरैना बिना बताये चली गई थी। इस बात को अस्वीकार किया है कि आवेदिका भरण उससे भरण पोषण पाने की अधिकारी है।

10– प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैः–

क– क्या आवेदिका, अनावेदक से भरण–पोषण पाने की अधिकारी है? यदि हॉ तो कब से और कितना?

ख– सहायता एंव वाद व्यय?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

11– आवेदिका की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में गुंजन स्वयं का कथन कराया है, जिसने इस बात का उल्लेख किया है कि उसकी शादी रामौतार के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 02.12.2007 को हुई थी। आवेदिका के अनुसार शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवारजन उसे परेशान करने लगे थे, उनके दाम्पत्य अधिकारों से दो बच्चों का जन्म हुआ। इस बात को अनावेदक रामौतार ने स्वीकार किया है कि उसकी शादी दिनांक 02.12.2007 को हुई थी। दो बच्चों का जन्म होना भी स्वीकार किया है, परंतु इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने एवं उसके परिवारजनों ने आवेदिका को दहेज के लिये परेशान किया था। अब मैं आवेदिका साक्ष्य को देखे जाना उचित समझता हूँ।

12– आवेदिका [redacted] के अनुसार अनावेदक पक्ष ने उसकी मारपीट की थी तथा दिनांक 21.10.14 को मारपीट कर उसे मायके में छोड़ आये थे। उसने पुलिस में शिकायत की थी, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस साक्षी के अनुसार प्रदर्श डी–1 के दस्तावेज उसकी हस्तलिपि में हैं, परंतु वह 4–5 साल पुराना है। इस साक्षी के अनुसार पत्र उसने जब लिखा था जब उसके पति घर पर नहीं था तथा सास से लड़ाई चल रही थी। इस साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया है कि यह पत्र दिनांक 25.07.14 को लिखा गया। इस कथन से यह साक्षिया अखण्डित रहती है। अब मैं इस बिन्दु पर अनावेदक साक्ष्य को देखे जाना उचित समझता हूँ।

13— अनावेदक [redacted] ने अपने मुख्य परीक्षण में इस बात का उल्लेख किया है कि दिनांक 25.08.14 को [redacted] चुपचाप उनसे बिना पूछे प्रदर्श डी—1 का लेटर रखकर चली गई थी, क्योंकि उनकी उम्र में 10 साल का अंतर है। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी—1 के पत्र में कोई तारीख नहीं लिखी है। इस साक्षी के अनुसार वह नहीं बता सकता कि गुंजन के पिता की तबियत कब खराब हुई। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 25.07.14 को गुंजन के पिता की तबियत खराब नहीं थी, जबकि [redacted] का कथन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन परिस्थितियों में बिना बताये गई थी जब उसकी सास से बोल—चाल नहीं था, पति घर पर नहीं था तथा उसके बाद वह अपने ससुराल पहुँच गई थी। इस प्रकार अनावेदक की अपेक्षा, आवेदिका की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है।

14— जहॉ तक 10 वर्ष के अंतर का संबंध हैं। साक्षी [redacted] ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में इस बात को स्वीकार कया है कि उसने ये सब बातें अपने अभिवचन में वकील साहब को बता दी थीं यदि जवाबदावे में यह बात नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके पास 80 वीघा कृषि भूमि है वह तथा उसके पिता गल्ला मण्डी का व्यवसाय करते हैं तथा मण्डी में गल्ला का स्टॉक भी करते हैं। अब मैं अनावेदक की आय के संबंध में आवेदिका की साक्ष्य को देखे जाना उचित समझता हूँ।

15— गुंजन के अनुसार उसने धारा 498—ए भा0दं0वि0 का परिवार न्यायालय में पेश किया है। [redacted] गल्ले का व्यवसाय करते हैं, जिससे 25—30 हजार रूपये प्रतिमाह कमाते हैं। बच्चे अनावेदक के पास हैं। [redacted] ने अपने उपरोक्त स्वीकृति के अलावा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी फर्म रामौतार नरेश कुमार के नाम से है। श्योपुर में उनका दो मंजिला मकान है एक मकान खाली पड़ा है। वह 15—20 हजार रूपये आय अर्जित करता है। इस साक्षी के अनुसार वह यह नहीं बता सकता कि उनके यहॉ तीन नौकर कार्य करते हैं उनको कितना वेतन देना पड़ता है इस साक्षी के अनुसार संभवतः उसके पिता को उसकी जानकारी है। इस कथन से साक्षी अखण्डित रहता है। इस बिन्दु पर साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

16— [redacted] आवेदिका क्र0—1 के अनुसार वह अपने पति के साथ किसी भी शर्त पर रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे लोग मारपीट करते हैं। इस साक्षी के अनुसार दिनांक 21.10.2004 को अनावेदक ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया जबकि अनावेदक के अनुसार वह बिना बताये चली गई थी। मैंने उपरोक्त विवेचना में पाया है कि प्रदर्श डी—1 का पत्र दिनांक

21.10.14 का नहीं है। अनावेदक ने जो बचाव इस संबंध में लिये हैं वह युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत होना प्रतीत नहीं होते हैं।

17— अनावेदक की ओर से न्यायदृष्टांत [redacted] में यह न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि पति ने पत्नि की न तो उपेक्षा की और न उसका भरण पोषण करने से इन्कार किया। पत्नि सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुई, पर्याप्त समय बाद पत्नि ने दूसरी शादी कर ली तो पत्नि भरण पोषण की हकदार नहीं हैं।

मैं पाता हूँ कि तथ्य भिन्नता होने के कारण यह न्यायदृष्टांत इस प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

18— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं पाता हूँ कि आवेदिका की कोई आमदनी नहीं है। अनावेदक व्यापारी है न कि नौकरी करता है। उसके पास 80 वीघा जमीन है तथा गल्ला मण्डी से उसकी 15—20 हजार रूपये प्रतिमाह की आमदनी है। मेरे मत में आवेदिका का पृथक रहने का कारण उचित है। मेरे मत में आवेदिका अनावेदक से 7,000/— प्रतिमाह आवेदन दिनांक 10.11.2014 से पाने की अधिकारी होगी। आज दिनांक से आवेदन दिनांक तक पूर्व की राशि 4 समान किश्तों में एक—एक माह के अंतराल से देय हेगी। वाद व्यय के रूप में भी अनावेदक, आवेदिका को 2,000/— रूपये एकमुश्त प्रदान करेगा। तद्नुसार कॉस्ट ऑफ मैमो बनाई जावे।

19— यदि आवेदिका किसी अन्य विधि के तहत भरण—पोषण की राशि प्राप्त कर रही हो, तो उस सीमा तक वह राशि समायोजित की जावे।

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)

आदेश मेरे बोलने पर लिखा गया एवं
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)